फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री गोपाल कंसारा पिता स्व. उदयलाल निवासी देवगढ़ मदारिया, जिला राजसमन्द

– अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, नाथद्वारा

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 28/2021**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 31.08.2021 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, नाथद्वारा से प्राप्त नही होंने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, नाथद्वारा को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा जरिये क्रमांकः भू.अ./सू.अधि.अपील/2021/525–526 दिनांक 10.08.2021 से प्राप्त रिपोर्टानुसार श्री गोपाल कंसारा पिता उदयलाल कंसारा निवासी देवगढ़, मदारिया जिला राजसमन्द ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन में चाही गई बिन्दु संख्या 01 की सूचना पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांकः 420–21 दिनांक 16.07.2021 द्वारा भिजवा दिया गया था। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की पृष्ठ भाग की प्रति पूर्व इस कार्यालय में उपलब्ध नही कराई गई तथा अन्य बिन्दुओं की जानकारी इस कार्यालय से नही मॉगी जाने से उपलब्ध नही कराई जा सकी। बिन्दु संख्या 06 की सूचना दिनांक 01.01.2015 से 02.06.2021 तक राजसमन्द जिले में आपदा राहत कोष व विशेष आपदा राहत कोष में केन्द्र, राज्य या अन्य मदों से प्राप्त राशी जन–धन हानि पर दिनांक 01.01.2015 से 02.06.2021 तक देय राशि की सूची आपदा राहत कोष और विशेष आपदा कोष से पिडितायों को सहायता देने के नियमों में छूट प्राप्त करने हेतु सरकार से छूट प्राप्त कर दिनांक 01.01.2015 से 02.06.2021 तक देय सहायता की सूची सम्बन्धित कोई रेकार्ड कार्यालय हाजा में संधारित नही हैं। बिन्दु संख्या 07 राजसमन्द जिले में आपदा राहत कोष/विशेष आपदा राहत कोष की राशी का उपयोग अन्य मदों में दिनांक 01.01.2015 से 02.06.2021 तक यदि उपयोग किया गया हो। ऐसी सूचना कार्यालय हाजा के रेकार्ड में संधारित नही हैं। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, नाथद्वारा की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, नाथद्वारा की रिपोर्टानुसार प्रार्थी/अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करवाये जाने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, नाथद्वारा को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर)राजसमन्द**	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)